न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 24 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट

1. भेराराम पुत्र बस्ताराम जाति जाट निवासी नया कुआ, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
2. जसवन्ताराम पुत्र श्री केसराराम विश्नोई
3. हरचन्दराम पुत्र श्री तेजाराम जाति देवासी निवासीगण गोलीया गर्वा, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.बरजूदेवी पत्नी श्री डूंगरसिंह जाति राजपूत निवासी देवड़ों की ढाणी, तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर।
2.अली पुत्र वाईदना
3.अब्दुल लतीफ पुत्र गुलाम
4.शौकत अली पुत्र गुलाम जातियान मुसलमान निवासीगण देवड़ा की ढाणी, तहसील गुड़ामालानी, जिला जोधपुर।
5तगाराम पुत्र तुलछाराम का.मु.
5/1ओमप्रकाश पुत्र तगाराम
5/2अचलाराम पुत्र तगाराम
5/3गोरखाराम पुत्र तगाराम
5/4शिवजी पुत्र तगाराम
5/5जगदीश पुत्र तगाराम
5/6श्रीमती रूखमो पत्नी तगाराम जातियान सोनी, निवासीयान आडेल, तहसील सिणधरी, जिला बाड़मेर
6.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 254/2012 बअनवान वरजूदेवी बनाम अली वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.02.2017 (संशोधित डिक्री दिनांक 02.05.2017), 24.05.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री दलाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री नारायण कुमावत रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 16.12.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी व प्रतिवादी संख्या 01 से 04 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा मुसलमानों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी में खसरा संख्या 522/70 रकबा 97 बीघा का आया हुआ है। उक्त वादग्रस्त आराजी में से वादीनी द्वारा मूल खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 अली पुत्र वाईदना से बाजब्ता रजिस्ट्री करवाकर उसके हिस्से में 15/97 हिस्सा दिनांक 29.06.2012 व 02/97 हिस्सा दिनांक 15.07.2004 को खरीद किया गया। इस प्रकार वादीनी का उक्त वादग्रस्त आराजी में कुल 17/97 हिस्सा की खातेदारी है। अपीलाधीन आराजी पर वादीनी का कब्जा व काश्त लगातार एवं निर्विवाद रूप से चला आ रहा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

है। इस आशय के हिस्से की घोषणा के लिए अधीनस्थ न्यायालय के दावा पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीनी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत वाद में अपीलांटगण को जानबूझकर पक्षकार नही बनाया गया है जबकि अपीलांटगण ने भी वादीनी के समान बाजाब्ता पंजीबद्ध विक्रय पत्र के भूमि प्रतिवादी संख्या 01 अली पुत्र वाईदना से अलग–अलग भूमि खरीद कर भौतिक कब्जा प्राप्त किया गया, इसके बावजूद भी उतरदाता संख्या 01 ने अपीलांटगण को वाद में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांटगण द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सी पी सी के तहत अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार बनने हेतु पेश किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण के प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार करते हुए खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही अंतिम डिक्री जारी कर दी गई उक्त निर्णय व अंतिम डिक्री अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीनी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत वाद में अपीलांटगण को जानबूझकर पक्षकार नही बनाया गया है जबकि अपीलांटगण ने भी वादीनी के समान बाजाब्ता पंजीबद्ध विक्रय पत्र के भूमि प्रतिवादी संख्या 01 अली पुत्र वाईदना से अलग–अलग भूमि खरीद कर भौतिक कब्जा प्राप्त किया गया, इसके बावजूद भी उतरदाता संख्या 01 ने अपीलांटगण को वाद में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांटगण द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सी पी सी के तहत अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार बनने हेतु पेश किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण के प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार करते हुए खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार गुड़ामालानी को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को विभाजन प्रस्ताव पर अपनी आपतियां पेश करने देने का अवसर दिये बिना ही एकतरफा रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्तवा के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों की सहमति से हल्का पटवारी व आर. आई. मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज व तरमीम भी हो गयी है। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 96 प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 96 प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि उतरदाता संख्या 01 द्वारा वाद में पक्षकार न बनाने के कारण उक्त वाद की जानकारी नहीं हो सकी, जब अपीलांटगण को हस्तगत वाद के बारे में जानकारी हुई तो अपीलांटगण द्वारा उक्त वाद में पक्षकार बनने हेतु आदेश 01 नियम 10 सी पी सी के तहत आवेदन पेश करने हेतु अधिवक्ता नियुक्त किया गया जिस पर अधिवक्ता ने आवेदन पेश भी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

किया जो आवेदन खारिज कर दिया तथा अपीलांटगण को पक्षकार बनाये बिना ही वाद को निर्णित कर दिया। अपीलांटगण हस्तगत वाद में हितबद्ध व पिड़ित पक्षकार है। अतः अपीलांटगण का निवेदन स्वीकार कर अपील पेश करने हेतु अनुमति प्रदान करावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने धारा 96 प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटगण हस्तगत वाद में हितबद्ध एवं पिड़ित पक्षकार नहीं होने से अपीलांटगण का आवेदन 96 प्रार्थना–पत्र खारिज कर अपील को इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की 96 सी पी सी प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हस्तगत वाद में वर्णित अपीलाधीन आराजी का रजिस्टर्ड बेचान अपीलांट के पक्ष में होने के बाद अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार संयोजित करने का आवेदन पेश किया गया जिसे अस्वीकार किया गया। अपीलांटगण हस्तगत वाद में आवश्यक, हितबद्ध एवं पिड़ित पक्षकार होने से अपीलांट को अपील पेश करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है। अपीलांट का आवेदन 96 सी पी सी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अरसा 15–20 दिन पूर्व अपीलांटगण ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो अधिवक्ता ने आवेदन खारिज होने की जानकारी दी जिस पर अपीलांट जसवंताराम ने आलोच्य निर्णय की नकल दिनांक 20.02.2018 को प्राप्त की तो समस्त जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांटगण द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश हस्तगत वाद में अपीलांटगण को सद्भावी क्रेता होकर हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार होते हुए भी पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है जिसे मौका रिपोर्ट का मजमून ही साबित कर देता है कि <u>तहसीलदार स्वयं</u> द्वारा मौका मुआवना नहीं किया गया है व विभाजन प्रस्ताव पर केवल उनके प्रति हस्ताक्षकर किये गये है। **<u>तहसीलदार को बंटवारे के मामले में स्वयं मौका देखना चाहिए।</u>** बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 254/2012 बअनवान वरजूदेवी बनाम अली वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.02.2017 (संशोधित डिक्री दिनांक 02.05.2017), 24.05.2017 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को पक्षकार रूप में संयाजित कर उसे समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत पुनः निर्णय पारित करे।

16/12/2020

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 16.12.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/12/2020

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर